अध्याय - VI

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

6.1 दंड-स्वरूप ब्याज की गैर-वसूली

निजी उद्योगों को वित्तपोषित परियोजनाओं से आय के अपने हिस्से के विलंबित धन-प्रेषण पर दंड-स्वरूप ब्याज लगाने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की विफलता का परिणाम ₹ 2.55 करोड़ की गैर-वसूली के रूप में हुआ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) ने प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास और उपयोगिता कार्यक्रम (टी.पी.डी.यू.)[33] के तहत विभिन्न निजी उद्योगों को प्रौद्योगिकी के विकास और प्रक्रिया/उत्पादों के निरूपण के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति दी। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसे जारी की गई सहायता अनुदान की कुल राशि का 1.3 गुना तक की रॉयल्टी की एकमुश्त राशि पांच वार्षिक किश्तों में डी.एस.आई.आर. को उत्पादों की व्यावसायिक बिक्री की शुरूआत से प्रेषित की जानी थी।

डी.एस.आई.आर. के अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विशेषज्ञ सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली (एन.आर.डी.सी.), की निजी उद्योगों से रॉयल्टी की एकमुश्त राशि की प्राप्ति के लिए पहचान की गई थी। इस प्रयोजन के लिए, डी.एस.आई.आर. ने एन.आर.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षर किया (दिसंबर 2002), जिसमें दोनों पक्षों के कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित निबंधन और शर्तें शामिल थें। एम.ओ.यू. के अनुसार, एन.आर.डी.सी. को परियोजनाओं द्वारा विकसित तकनीक एवं जानकारी की लाइसेंसिंग कार्यपालक एजेंसियों को करनी थी और वह समय-समय पर परियोजना कार्यपालक एजेंसियों से बकाया एकमुश्त राशि तथा/या रॉयल्टी भुगतान, तीसरे पक्ष का लाइसेंसिंग शुल्क आदि इकट्ठा करेगा। ऐसे भुगतान का लेखा उस पर अर्जित ब्याज सहित एन.आर.डी.सी. द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा और एक पृथक 'नो लियन बैंक खाता' में जमा किया जाएगा। इस प्रकार अर्जित राशि अल्पकालिक सावधि जमा में निवेश की जानी थी। इस खाते और इस खाते से किए गए लेनदेनों

[33] डी.एस.आई.आर. द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्रीय योजना

का वार्षिक विवरण प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक डी.एस.आई.आर. को प्रस्तुत किए जाने थे।

समझौता ज्ञापन में यह भी अनुबंधित था कि एकमुश्त राशि तथा/या रॉयल्टी, तीसरे पक्ष के लाइसेंसिंग शुल्क आदि से संबंधित शुद्ध आय और उस पर अर्जित ब्याज का 75 प्रतिशत प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक डी.एस.आई.आर. को प्रेषित की जाएगी। डी.एस.आई.आर. को भुगतान प्रेषित करने में किसी भी देरी के लिए एन.आर.डी.सी. प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत दंड-स्वरूप ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

डी.एस.आई.आर. के अभिलेखों की जांच में पता चला कि वर्ष 2007-08 से 2016-17 के दौरान एन.आर.डी.सी. द्वारा विभिन्न निजी उद्योगों से रॉयल्टी के कारण ₹ 46.13 करोड़ की कुल राशि वसूल की गई थी। इसमें से, ₹ 34.60 करोड़ का 75 प्रतिशत हिस्सा 11 दिनों से तीन साल[34] तक की देरी के बाद डी.एस.आई.आर. को प्रेषित किया गया था। डी.एस.आई.आर. के आय के हिस्से के प्रेषण में देरी के परिणामस्वरूप एन.आर.डी.सी. वर्ष 2007-08 से 2015-16 तक की अवधि के लिए ₹ 2.55 करोड़ के दंड-स्वरूप ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.एस.आई.आर. ने न तो उसे देय राशि के प्रेषण में देरी के मामले का अनुसरण किया और न ही विलंबित धन-प्रेषणों के लिए ₹ 2.55 करोड़ के दंड-स्वरूप ब्याज की वसूली की। इसके अलावा, एन.आर.डी.सी. ने ऐसे भुगतानों के लिए न तो एक अलग खाता रखा और न ही उसने आय को एक अलग 'नो लियन बैंक खाता' में जमा किया जैसा कि एम.ओ.यू. में अनुबंधित था। एन.आर.डी.सी. ने एम.ओ.यू. में यथा अनुबंधित उस राशि का निवेश अल्पावधि सावधि जमाओं में भी नहीं किया। फिर भी, डी.एस.आई.आर. ने एन.आर.डी.सी. के साथ हुए एम.ओ.यू. के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। डी.एस.आई.आर. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से आय के उसके हिस्से के विलंबित धन-प्रेषण पर दंड-स्वरूप ब्याज लगाने में उसकी निष्क्रियता के परिणामस्वरूप एन.आर.डी.सी. से ₹ 2.55 करोड़ की गैर-वसूली हुई। इसके अलावा, अल्पावधि सावधि जमाओं में निवेश ना करने के कारण ब्याज की आय की हानि हुई।

यह मामला डी.एस.आई.आर. को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसक उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

[34] 2016-17 को छोड़कर जिसमें कोई देरी नहीं देखी गई।

6.2 सी.एस.आई.आर. की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं का प्रबंधन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के तहत 27 चयनित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं के लेखापरीक्षा में कार्य बल/क्षेत्रीय निगरानी समितियों/अनुसंधान परिषदों के गैर-गठन/विलंबित गठन और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा संचालित की जोने वाली बैठकों की संख्या में कमी के संदर्भ में निगरानी प्रणाली में कमियां पाई गई।

6.2.1 प्रस्तावना

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) का कार्य करता है। सी.एस.आई.आर. की सोसाइटी में 28 सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री द्वारा, उपाध्यक्ष के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक मंत्री एवं पदेन सचिव के रूप में महानिदेशक (डी.जी.), सी.एस.आई.आर. सहित की जाती है। सी.एस.आई.आर. के मामलें शासी निकाय (जी.बी.) द्वारा प्रशासित, निर्देशित और नियंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अगुवाई डी.जी., सी.एस.आई.आर. करते है। देशभर में सी.एस.आई.आर. की 38 प्रयोगशालाएं हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय (2007-12) योजना (एफ.वाई.पी.) के दौरान, सी.एस.आई.आर. ने प्रस्तावित सुप्रा-इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स[35] (एस.आई.पी.), नेटवर्क प्रोजेक्ट्स[36] (एन.डब्ल्यू.पी.), इंटर-एजेंसी प्रोजेक्ट्स[37] (आई.ए.पी.) और प्रोजेक्ट्स फॉर क्रिएशन ऑफ फेसिलिटीज[38] (पी.सी.एफ.) जैसे कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया। इन विविध अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का प्रबंधन करने के लिए सी.एस.आई.आर. ने 'राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और वित्तीय शासन पर दिशानिर्देश' नामक एक सामान्य दिशानिर्देश तैयार

---

35 कम से कम एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्रयोगशाला में निहित अधिकांश समूहों से सामर्थ्य और भागीदारी प्राप्त कर रहा है।

36 परियोजनाओं का उद्देश्य एक से अधिक प्रयोगशालाओं से विशेषज्ञता, संसाधनों और सुविधाओं की नेटवर्किंग करना है।

37 परियोजनाओं में उद्योग, शिक्षा और सरकार के साथ सहक्रिया शामिल होगा।

38 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी ज्ञान प्राप्ति क्षमता को बनाए रखने के लिए चयनित प्रयोगशालाओं में विश्व स्तरीय डोमेन विशिष्ट सुविधाओं के सृजन के लिए परियोजनाएं तैयार की गई थीं।

(अक्टूबर 2007) किया। 2007-2012 के दौरान, सी.एस.आई.आर. ने ₹ 2,650.39 करोड़[39] की संस्वीकृत लागत पर 97 परियोजनाएं की।

भौगोलिक विस्तार पर आधारित सी.एस.आई.आर. के 10 चयनित प्रयोगशालाओं में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं की लेखापरीक्षा की गई और दिशानिर्देशों के संदर्भ में परियोजनाओं की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए ₹ 836.50 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ कुल 27 परियोजनाओं (आठ एस.आई.पी.-₹ 304.33 करोड़, 17 एन.डब्ल्यू.पी. ₹ 505.96 करोड़ और दो आई.ए.पी.-₹ 26.21 करोड़) की जांच की गई थीं। चयनित प्रयोगशालाओं, इन प्रयोगशालाओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं, इन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत और वास्तविक व्यय ***परिशिष्ट XII*** में दिया गया है।

6.2.2 अपर्याप्त निगरानी

दिशानिर्देशों में परियोजनाओं की निगरानी के लिए दो स्तरीय निगरानी प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। परियोजना स्तर पर सभी परियोजनाओं के लिए एक टास्क फोर्स (टी.एफ.) का गठन किया जाना था। एस.आई.पी. और आई.ए.पी. के मामले में जहां सी.एस.आई.आर. प्रमुख हितधारक है, प्रयोगशाला के निदेशक परियोजना में शामिल वैज्ञानिक समूहों के सदस्यों के साथ अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत टी.एफ. का गठन करेंगे। एन.डब्ल्यू.पी. के मामले में, डी.जी., सी.एस.आई.आर. नोडल प्रयोगशाला के निदेशक के परामर्श से परियोजना में शामिल सहभागी प्रयोगशालाओं के सदस्यों के साथ अपनी अध्यक्षता में टी.एफ. का गठन करेगा। सी.एस.आई.आर. मुख्यालय स्तर पर, एन.डब्ल्यू.पी. के लिए डी.जी., सी.एस.आई.आर. द्वारा क्षेत्रीय निगरानी समिति (एस.एम.सी.) का गठन किया जाना था जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक/तकनीकविद्, बाह्य विशेषज्ञ, टास्क फोर्स के अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, सी.एस.आई.आर. और अनुसंधान विकास और योजना, नेटवर्क प्रोजेक्ट्स प्रभाग के प्रमुख, (आर.डी.पी.डी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) शामिल थें। एस.आई.पी. और आई.ए.पी. के मामले में, निगरानी कार्यान्वयन प्रयोगशालाओं के अनुसंधान परिषद (आर.सी.) के माध्यम से की जाती है। आई.ए.पी. के मामले में, जिसमें बाहरी एजेंसी ने बजटीय सहायता का बड़ा हिस्सा प्रदान किया था, परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित एजेंसी द्वारा होगा।

---

[39] 33 एस.आई.पी. (₹ 754.30 करोड़) प्लस 45 एन.डब्ल्यू.पी. (₹ 1501.70 करोड़) प्लस 8 आई.ए.पी. (₹ 139.20 करोड़) प्लस 10 पी.सी.एफ. (₹ 209.21 करोड़) प्लस सी.एस.आई.आर. द्वारा लागू एक परियोजना (₹ 45.98 करोड़)।

टी.एफ. को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परियोजनाओं के पांच वर्षों में प्रदेय, मील का पत्थर, वित्तीय चरण-निर्धारण और परियोजनाओं के उत्पादन एवं परिणामों सहित गतिविधियों का विवरण देते हुए जी.बी./व्यय वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) के द्वारा विचार करने हेतु प्रस्तावों को तैयार करना था। टी.एफ. वैज्ञानिक उत्पादनों (पेटेंट, प्रकाशन, आदि), गतिविधियों, वार्षिक/अर्धवार्षिक लक्ष्यों, मात्रात्मक प्रदेय आदि के संदर्भ में परियोजना की कार्ययोजना का सूक्ष्म विवरण तैयार करेगा। जी.बी. द्वारा यथा अनुमोदित कार्ययोजना इस पर विचारार्थ एवं पृष्ठांकन के लिए एन.डब्ल्यू.पी.एस के मामलें में एस.एम.सी. को और एस.आई.पी. और आई.ए.पी. के मामले में रिसर्च काउंसिल (आर.सी.) को प्रस्तुत की जाएगी।

एस.एम.सी. को टास्क फोर्स के साथ विचार-विमर्श कर उपयुक्त और निगरानी योग्य मानदंडों को विकसित करना, अर्धवार्षिक आधार पर निगरानी योग्य मानदंडों की उपलब्धि के लिए परियोजना की भौतिक प्रगति की समीक्षा करना, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परियोजना में मध्य-पाठ्यक्रम परिवर्तन/सुधारों का मूल्यांकन करना और सलाह देना, परियोजना की न के बराबर अथवा धीमी प्रगति के मामले में डी.जी., सी.एस.आई.आर. के लिए पर्याप्त आंतरिक चेतावनी तंत्र उपलब्ध कराना व समुचित सिफारिशें करना, डी.जी., सी.एस.आई.आर. को परियोजना की प्रगति की आवधिक रिपोर्ट प्रदान करना थे।

परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए टी.एफ. और एस.एम.सी. को एक वर्ष में कम से कम दो बार (छह महीने में एक बार) मिलना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i) टी.एफ. का गठन 27 चयनित परियोजनाओं में से केवल 10 में किया गया था। इन 10 परियोजनाओं में से पांच में, परियोजना की शुरूआत से एक वर्ष के विलंब के बाद टी.एफ. गठित किए गए थें। पांच परियोजनाओं में, टी.एफ. का गठन नहीं किया गया था। इन पांच मामलों में, अनुसंधान परिषद/प्रयोगशाला द्वारा परियोजनाओं की निगरानी की गई थी। शेष 12 परियोजनाओं के लिए टी.एफ. के गठन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

ii) एन.डब्ल्यू.पी. के तहत 17 चयनित परियोजनाओं में जहां एक एस.एम.सी. का गठन किया जाना था, सी.एस.आई.आर. ने केवल पांच मामलों में एस.एम.सी. गठित किए थें। तीन मामलों में एस.एम.सी. गठित नहीं किए गए थें और शेष 9 मामलों में एस.एम.सी. के गठन की स्थिति ज्ञात नहीं थी।

iii) टी.एफ. और एस.एम.सी. द्वारा परियोजनाओं की निगरानी के लिए बैठकों की आवृत्ति में कमी थी जैसा कि तालिका 6.1 में दिया गया है।

तालिका 6.1: टी.एफ. और एस.एम.सी., जहां ये गठित किए गए हैं, की बैठकों के संचालन में कमी

परियोजना की प्रकृति	टास्क फोर्स बैठकें		क्षेत्रीय निगरानी समिति की बैठकें	
	गठित की गई	टी.एफ. की बैठकों के संचालन में कमी की सीमा (%)	गठित की गई	एस.एम.सी. की बैठकों के संचालन में कमी की सीमा (%)
एन.डब्ल्यू.पी.	7	30 to 70	5	80
एस.आई.पी.	2	70 to 90	लागू नहीं	
आई.ए.पी.	1	30	लागू नहीं	

iv) दिशानिर्देशों में यह अनुबंधित हैं कि टी.एफ. डी.जी., सी.एस.आई.आर. को प्रति वर्ष 15 सितम्बर और 15 अप्रैल तक अर्ध-वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि, ऐसी 10 परियोजनाओं जहां टी.एफ. का गठन किया गया था, में दो में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं पेश की गई। पांच मामलों में, रिपोर्ट जमा करने में कमी 80 से 90 प्रतिशत तक थी। शेष मामलों में, सी.एस.आई.आर. को अर्ध-वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट भेजने की स्थिति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।

6.2.3 निर्धारित प्रपत्र में परियोजना समापन रिपोर्टों की गैर-प्रस्तुति

दिशानिर्देशों के अनुसार, सी.एस.आई.आर. द्वारा जारी सभी परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार परियोजना समापन रिपोर्टों (पी.सी.आर.) तैयार की जानी थी। पी.सी.आर. की तैयारी के लिए संबंधित परियोजनाओं के टी.एफ. जिम्मेदार हैं। समापन प्रतिवेदन एस.एम.सी./आर.सी. के समक्ष तथा एस.एम.सी./आर.सी. अभ्युक्तियों सहित और पी.सी.आर. का अनुमोदन डी.जी., सी.एस.आई.आर. को भेजा जाएगा। पी.सी.आर. में उल्लेखित उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना में दिए गए विवरण के समतुल्य किए जाने थे। पी.सी.आर. की निर्धारित प्रोफार्मा में औचित्य के साथ हासिल नहीं किए गए उद्देश्यों का विवरण भी शामिल होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

i) यद्यपि सभी 27 पूर्ण परियोजनाओं में पी.सी.आर. तैयार किए गए थें, टी.एफ. ने केवल दो मामलों में पी.सी.आर. एस.एम.सी./आर.सी. को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, इन दो मामलों में से केवल एक में, आर.सी. ने पी.सी.आर. की समीक्षा की तथा स्वीकृति दी और उसे डी.जी., सी.एस.आई.आर. को भेजा।

ii) तैयार किए गए 27 पी.सी.आर. में से 13 पी.सी.आर. सी.एस.आई.आर. द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किए गए थे जबकि पी.सी.आर. की 10 परियोजनाओं में आंशिक जानकारी ही शामिल थी। चार परियोजनाओं से संबंधित पी.सी.आर. सी.एस.आई.आर. द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुपालन में नहीं थे।

पी.सी.आर. तैयार करने में पाई गई कमियां/विसंगतियां नीचे दर्शाई गई हैं:

परियोजना	विवरण	टिप्पणियां
एस.आई.पी. 001	परियोजना के तहत नेशनल एयरोस्पेस लेबोरॉटरीज (एन.ए.एल.) को ₹ 15.44 करोड़ की कुल लागत पर पांच विषयों के तहत 12 निर्माण कार्य संचालित करने थे। 2009-13 के दौरान, एन.ए.एल. ने कार्यों एवं सेवाओं के लिए ₹ 9.12 करोड़ का व्यय किया और ₹ 6.31 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ा। यह उल्लेखित था कि परियोजना के अंत में उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया था।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर्नाटक में 50 एकड़ वन भूमि पर एक प्रायोगिक पवन फार्म की स्थापना के लिए प्रणोदन और ऊर्जा प्रणाली विषय के तहत ₹ पाँच करोड़ निर्धारित किए गए थे। हालांकि भूमि के क्रय का अनुसरण नहीं किया गया और इसलिए विमानन एकीकृत जांच सुविधा के लिए प्रस्तावित सिविल कार्यों, पवन टरबाइन क्षेत्र परीक्षण केन्द्र तथा विकसित संयोजन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना करने के कार्य नहीं किए गए। हालांकि, एन.ए.एल. ने इन तथ्यों को अपने पी.सी.आर. में नहीं बताया और गलत कहा कि परियोजना के उद्देश्यों को हासिल किया गया था।
एस.आई.पी. 006	परियोजना के तहत रोग आंकड़ाकोष (एल.एस.डी.बी.) बनाने का प्रस्ताव था जो कि भारत भर में विभिन्न तंत्रिकीय केंद्रों पर उपलब्ध जानकारी को सूचीबद्ध करेगा। पी.सी.आर. में यह बताया गया कि सभी वचनबद्ध प्रदेय पूर्ण हो चुके हैं और कुछ उद्देश्यों के लिए बुनियादी विविधता आंकड़ाकोष के प्रयोज्यता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।	लेखापरीक्षा में पता चला कि मूल स्त्रोत अनावश्यक था और आंकड़ा बनाए नहीं रखा गया था। इस प्रकार, पी.सी.आर. में तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
एस.आई.पी. 017	परियोजना के तहत, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.) ने सिलिकॉन कोशिकाओं प्रसंस्करण के उपकरण एवं सौर कोशिकाओं के लक्षण के आवासन के लिए स्वच्छ कक्ष सुविधा (1,000 वर्गमीटर) का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। पी.सी.आर. में बताया गया कि स्वच्छ कक्ष निर्माण में अनजान प्रतिक्रियात्मक विलंब के कारण पूर्ण प्रक्रिया रेखा, प्रसार भट्टियां और मुखौटा संरेखण स्थापित नहीं किया जा सका।	अप्रैल 2007 में परियोजना की शुरूआत हुई और सी.एस.आई.आर. ने स्वच्छ कमरे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया (जुलाई 2007)। निर्माण सितंबर 2007 में शुरू किया जाना था और सितंबर 2008 तक पूरा किया जाना था। एन.पी.एल. ने मार्च 2008 में फर्म को स्वच्छ कमरे के निर्माण के लिए अधिनिर्णीत किया और निर्माण का कार्य मई 2014 में पूरा किया गया। इसी बीच, परियोजना मार्च 2012 में पूरी हो गई। परियोजना अवधि के भीतर स्वच्छ कमरे को पूरा न करने के परिणामस्वरूप, स्वच्छ कमरे में अधिष्ठापन के लिए लगाए गए

परियोजना	विवरण	टिप्पणियां
		उपकरण को नहीं रखा जा सका। इसके अलावा, परियोजना के पूरा होने की तिथि के बाद ₹ 2.20 करोड़ की लागत वाले कुछ उपकरण प्राप्त हुए और परियोजना के पूरा होने के बाद ₹ 14.63 करोड़ की परियोजना लागत में से ₹ 8.47 करोड़ के छह उपकरण स्थापित किए गए थे जो निगरानी में कमी और परिहार्य विलंब के संकेत थे।
एस.आई.पी. 023	परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में छिद्रयुक्त व घने सिरेमिक मेमंब्रेन पर आधारित प्रौद्योगिकी का विकास था। इस उद्देश्य को प्रत्येक गतिविधि में एक या एक से अधिक बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी.आर.)/प्रौद्योगिकी के विकास की परिल्पना करते हुए लिए पांच गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया था। पी.सी.आर. से यह पता चला कि तीन गतिविधियों में आई.पी.आर. विकसित नहीं किया गया था।	इसके लिए औचित्य दर्ज नहीं किया गया था।
एस.आई.पी. 026	मार्च 2008 में शुरू किए गए परियोजना के उद्देश्यों में से एक मलेरिया मुख्य अणु 97/98 (आई.पी.सी.ए. प्रयोगशाला लिमिटेड, मुंबई (आई.पी.सी.ए.) के साथ सहयोगी सह लाइसेंसिंग समझौता) था और पी.सी.आर. (मार्च 2012) में यह विनिर्दिष्ट था कि उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया था और आई.पी.सी.ए. के सहयोग से केंडीडेट ड्रग 97/98 का चरण -1 लाक्षणिक परीक्षण जारी हैं।	सी.एस.आई.आर. ने (नवंबर 2004) आई.पी.सी.ए. के साथ मलेरिया विरोधी अभिकर्ता के रूप में सी.डी.आर.आई. यौगिक 97/78 के वाणिज्यिक विनिर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। उक्त प्रौद्योगिकी पहले ही विकसित की जा चुकी थी और सी.डी.आर.आई. ने वाणिज्यिक विनिर्माण के लिए उत्पाद के अगले विकास के लिए आई.पी.सी.ए. लैबों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर (2004) किया था। इन तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान परियोजना (एस.आई.पी. 026) समाप्त हो चुकी थी, जो तथ्यतः सही नहीं है।

6.2.4 बौद्धिक संपदा अधिकार का निर्माण

सी.एस.आई.आर. के दिशानिर्देशों में यह अनुबंधित हैं कि पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेड मार्क, पंजीकृत डिजाईन, प्रक्रिया/उत्पाद के लिए जानकारी बौद्धिक संपदा में शामिल है। एन.डब्ल्यू.पी. के मामले में, जहाँ कई सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाएं शामिल थीं, यह निर्धारित किया गया कि सहभागी प्रयोगशालाओं के बीच परियोजना की शुरूआत करने के पहले उचित समझ और क्रेडिट्स का साझाकरण होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 परियोजनाओं के परियोजना प्रस्तावों में बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था। इन 18 परियोजनाओं से विकसित 171 आई.पी.आर. के लक्ष्य में से 78 आई.पी.आर. विकसित किए गए थें। आगे यह देखा गया कि चयनित एन.डब्ल्यू.पी. के किसी भी परियोजना प्रस्तावों में समझ और क्रेडिट्स के साझाकरण का कोई उल्लेख नहीं था। 14 एन.डब्ल्यू.पी., जिसने परियोजना प्रस्तावों में आई.पी.आर. के विकास का प्रस्ताव दिया था, से विकसित कुल 50 आई.पी.आर. में से केवल चार पेटेंटों को ही संयुक्त रुप से विकसित किया गया बताया गया।

6.2.5 प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण हेतु उद्योगों को शामिल करने में कार्रवाई की कमी

राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं एफ.वाई.पी. का उद्देश्य नई जानकरियों को उत्पन्न करना था जो सार्वजनिक सामान, निजी सामान, रणनीतिक सामान और सामाजिक सामान के लिए उपयोग किया जा सके। दिशानिर्देशों में यह अनुबंधित था कि परियोजना की शुरूआत में टी.एफ. द्वारा जैसा कि तय किए गए सुविधाजनक चरण में, अनुसंधान परिणाम के प्रभावी वणिज्यिकरण के लिए, उद्योगों को शामिल करना था। परियोजनाओं के परिणामों के वाणिज्यिकरण के लिए अपनाए गए व्यवसायिक मॉडलों को उसी दिशानिर्देशों में नियोजित किया जाना चाहिए, जैसा अन्य सभी परियोजनाओं के लिए सी.एस.आई.आर. द्वारा अपनाया गया है। व्यावसायिक मॉडलों के लिए सी.एस.आई.आर. के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिकरण के लिए परियोजनाओं से उत्पन्न बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उद्योगों को शामिल करने और उन्हें 17 चयनित एन.डब्ल्यू.पी.एस में से 13 में हितधारक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 40 नई प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में प्रदेय को चयनित 27 परियोजनाओं में से 15 में विकसित किया जाना प्रस्तावित था। 40 के विरुद्ध केवल 22 प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया जिनमें 9 प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण किया गया और

परियोजना के पूरा होने के पश्चात् इन प्रौद्योगिकियों से ₹ 46 लाख का राजस्व अर्जित किया गया।

6.2.6 परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया

दिशानिर्देशों में अनुबंधित था कि आगे की दिशा में परिकल्पित प्रदेय की तुलना में उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए पी.सी.आर. की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा संचालित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 27 पूर्ण परियोजनाओं में से 14 में पी.सी.आर. का तृतीय पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित था। शेष 13 परियोजनाओं से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

6.2.7 निष्कर्ष

सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के तहत 27 चयनित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं की लेखापरीक्षा ने इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार यथा परिकल्पित निगरानी में कमियां दर्शाई। टास्क फोर्स/क्षेत्रीय निगरानी समितियां/अनुसंधान परिषद् का या तो गठन नहीं किया गया अथवा देरी से गठन किया गया। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या में कमी पाई गई थी। परियोजना समापन रिपोर्टों की तैयारी में कमियां/विसंगतियां थी। प्रौद्योगिकियों के प्रभावी वाणिज्यिक उपयोग के लिए परियोजनाओं के साथ उद्योगों को शामिल करने के लिए की गई कार्रवाई उपलब्ध नहीं थी।

अक्टूबर 2017 में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ डी.एस.आई.आर. को भेजी गई; उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) थी।

6.3 विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता द्वारा बिजली संविदा की मांग को कम करने के लिए विलंबित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी को दिए गए बिलिंग मांग प्रभारों के प्रति ₹ 64.90 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

बिजली कनेक्शन पाने के इच्छुक किसी संस्थान को वितरण लाइसेंसधारियों को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक है। इस आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, लोड के प्रक्षेपण के आधार के साथ लोड की आवश्यकता शामिल होती है। वितरण लाइसेंसधारियों के इंजीनियरों द्वारा निर्माण स्थल दौरे के आधार पर संविदा की मांग को संस्वीकृति दी जाती है और संस्थानों को

निर्धारित अग्रिम धन जमा करने की आवश्यकता होती है तथा संस्थान के प्रमुख और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वास्तविक खपत/प्रक्षेपण के आधार पर संस्थान एक वर्ष में एक बार संविदा की मांग को बदल सकता है। विद्युत पर अनावश्यक व्यय से बचने के लिए वास्तविक बिजली खपत के संदर्भ में संविदा की समीक्षा करना संस्थान की जिम्मेदारी है।

भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता (आई.आई.सी.बी.), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद[40] की एक घटक प्रयोगशाला, ने 1,000 के.वी.ए. के संविदा मांग हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल.) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया (दिसंबर 2011)। टैरिफ आदेश के अनुसार, मांग प्रभार समय-समय पर लागू दरों पर वास्तविक खपत के लिए प्रभारों सहित एक महीने में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग या संविदा मांग के 85 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर लगाए जाते हैं।

डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. ने अप्रैल 2013 से आई.आई.सी.बी. के साल्ट लेक परिसर में बिजली की आपूर्ति शुरू की। आई.आई.सी.बी. ने डब्ल्यू.बी.ई.आर.सी. से संविदा की मांग को अगले छह महीनों अर्थात जून 2014 तक के लिए 200 के.वी.ए. तय करने के लिए अनुरोध किया (दिसंबर 2013)। डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. ने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार, संविदा लोड की कमी/संविदा मांग का अधोमुखी पुनरीक्षण सेवा की प्रभावी तिथि के एक वर्ष बाद अर्थात् अप्रैल 2014 से कम किया जा सकता था तथा उसने आई.आई.सी.बी. को संविदा मांग में कमी के लिए फिर से मई 2014 के पहले आवेदन करने की सलाह दी। आई.आई.सी.बी. ने दिसंबर 2014 में डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के साथ 200 के.वी. तक संविदा मांग में कमी के लिए इस मुद्दे को दोबारा उठाया लेकिन इसका अनुसरण नहीं किया और कोई कमी नहीं की गई।

बिजली बिलों (मई 2014 से मार्च 2017) के लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि वास्तविक खपत संविदा लोड से 58 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक लगातार कम थी। फरवरी 2017 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आई.आई.सी.बी. ने 500 के.वी.ए. के रूप में संविदा मांग का पुनर्मूल्यांकन किया (अप्रैल 2017) और इसे 1,000 के.वी.ए. से कम करके 500 के.वी.ए. किया गया (मई 2017)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यदि आई.आई.सी.बी. ने अप्रैल 2014 में 200 के.वी. तक संविदा लोड को कम किया होता और जनवरी 2016 में उसकी सुविधाओं के प्रचालन के बाद संविदा लोड का पुनः मूल्यांकन करता, तो संस्थान मई 2014 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 64.90 लाख के अतिरिक्त व्यय से बच सकता था।

---

[40] वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की एक स्वायत्त सोसाइटी

सी.एस.आई.आर. ने कहा (अक्टूबर 2017) कि यद्यपि दिसंबर 2014 में 200 के.वी.ए. तक संविदा की मांग में कमी करने के लिए प्रयास किया गया था, तथापि बाद में इसका अनुसरण नहीं कियी गया क्योंकि आई.आई.सी.बी. विभिन्न परियोजनाओं और वैज्ञानिक गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी के कारण विद्युत लोड के इष्टतम आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं कर सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आई.आई.सी.बी. के पास विभिन्न परियोजनाओं/वैज्ञानिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति के आधार पर संविदा मांग को साल में एक बार कम करने या बढ़ाने का विकल्प था। अत: वास्तविक बिजली खपत के साथ अपने संविदा मांग को ससमय संरेखित करने में आई.आई.सी.बी. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 64.90 लाख का परिहार्य व्यय हुआ जिसका उपयोग संस्थान की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता था।